138

**समक्षः– न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश**

**निगरानी क्रमॉक :**

**प्रस्तुति दिनॉक : 26.10.2015**

श्रीमती रजनी शर्मा
द्वारा आज दि. 26/10/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

तिवा / 3483 – II – 15

**हरिशंकर नायक उम्र करीब 65 वर्ष पिता स्व. पुरूसोत्तम नायक**

**निवासी चण्डी जी वार्ड हटा जिला–दमोह (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता**

**बनाम**

**मध्यप्रदेश शासन .....गैरनिगरानीकर्ता**

**निगरानी अंर्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959, निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय् तहसील हटा जि. दमोह, म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमॉक 74 अ/68, वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनॉक 05.10.2015 से दुखित होकर माननीय न्यायालय् के समक्ष न्यायिक निराकरण हेतु प्रस्तुत।**

मान्यवर्

निगरानीकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :–

## प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता/पुनरीक्षणकर्ता नगर हटा खास के पटवारी हल्का नं. 32 चण्डी जी वार्ड हटा, तहसील हटा जिला दमोह का स्थायी निवासी है। निगरानीकर्ता ने जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 28.08.1991 में हटा खास की आबादी की चंडी

हरिशंकर नायक

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3483–दो/15 जिला–दमोह

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-2-17 | आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिषठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में अभिलेख पूर्ण हो चुका है। अतः प्रकरण में आज ही अन्तिम बहस सुन ली जावे। अनावेदक की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उन्हें शीघ्र सुनवाई की प्रति प्रदान की गई।<br><br>2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 74/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.10.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br><br>3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि नगर हटा खास के पटवारी हल्का न0 चण्डी वार्ड हटा तहसील हटा जिला दमोह का स्थयी निवासी है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने जरिये रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 28.8.91 में हटा खास की आबादी की चंडी जी वार्ड स्थित नगर पालिका क्षेत्र की जगह मकान बनवाने अपनी पत्नी मीरा बाई नायक के नाम से जालम कुम्हार से कय कर कब्जा पाया था इस जगर पर आवेदक ने नगर पालिका हटा से विधिवत मंजूरी लेकर मकान का निर्माण किया था। आवेदक तभी से इस जगह पर बने मकान में वहैसियत से निवास करता चला आ रहा है। उसके द्वारा किसी भी प्रकार से शासकीय भूमि | |

पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि बिना किसी वैधानिक नाप व बिना किसी वैधानिक आधार के अवैधानिक रूप से अधीनस्थ द्वारा दिनांक 21.9.15 को नोटिस जारी कर दिया गया । उक्त प्रकरण में धारा 248 के अंतर्गत प्रकिया के आवश्यक तत्व जिसमें बेजा कब्जा की रिपोर्ट मय खसरा प्रति फील्ड बुक नक्शा पंचनामा अतिक्रमित क्षेत्र का स्पष्ट विवरण एवं बेजा कब्जा की तिथि किस दिनांक को किस प्रकार से व किस रूप में अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी के प्रतिवेदन में होना आवश्यक है, जबकि बेजा कब्जा सिद्व करने की जिम्मेदारी शासन की है। उनके द्वारा साइटेशन भी उद्वरित किया गया है। **आबादी की भूमि जिस पर भवन या इमारत बनी हुई हो तो वह बिना किसी विधि प्रकिया अपनाये कानून को अपने हाथ में लेकर सिवधि कोर्ट से डिकी लिये बिना धारा 248 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के तहत उसे कार्यवाही कर हटाने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस संबंध में महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत म0प्र0 राज्य एवं अन्य विरूद्व उत्तमचंद एवं अन्य जे0एल0जे0 2000 भाग 2 नोट 143 अवलोकनीय है।** आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार हटा का आदेश दिनांक 5.10.15 निरस्त किया जावे।

4— शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आवेदक की

निगरानी अस्वीकार की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपनी पत्नी मीरा बाई नायक के नाम से खसरा नम्बर 162/1क रकवा 1.295 है0 के अंश भाग 24 X 80 फुट रजिस्ट्र विकय पत्र से कय कर मकान बनाने हेतु विधिवत नगर पालिका हटा से भवन निर्माण की स्वीकृति ली जाकर उस पर मकान बनबाया है, तभी से वह काबिज होकर उस पर परिवार सहित निवास कर रहा है। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 162/1क के चारो ओर घनी बस्ती है व मकान आदि बने हुये हैं जिलससे आज तक उक्त प्रश्नागत भूमि का वैद्यानिक सीमांकन ही हो पाया है एवं धारा 248 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं होते हैं जबकि उस भूमि पर इमारती संपत्ति खडी हो जैसा कि न्याय दृष्टांत म0प्र0 राज्य विरूद्व उत्तम चन्द एवं अन्य जे0एल0जे0 2000 भाग–2 नोट 143 में प्रतिपादित किया गया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार का प्रकरण कमांक 74/अ–68/2014–15 में पारित आदेश 5.10.15 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आवेदक के विरूद्व लंबित अतिकमण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

सदस्य